प0 सं0- 14/डी0एल0ए0 (ग्रिड सब स्टेशन)–सुपौल–176/13–2522/रा0, पटना–15 दिनांक–22/10/2013

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमिसुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

संख्या.................... पटना दिनांकः–............

अधिसूचना

चुँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि मौजा सुखासन थाना नं0 63 परगना– नारेदिगर थाना– सुपौल, जिला– सुपौल, में सार्वजनिक परियोजनार्थ अर्थात् बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सुपौल में 220/132/33 के0वी0 ग्रीड सब स्टेशन निर्माण के लिए बिहार स्टेट पावर ट्रॉसमिशन कम्पनी लि0 के तहत बिहार सरकार के खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त योजना के लिए उपरोक्त ग्राम– सुखासन थाना– नं0 63 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कमोवेश 20.00 (बीस एकड़) मात्र है, जिसका पूर्ण/अंश खेसरा निम्न प्रकार हैः–

पूर्ण खेसरा संख्याः– 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2200, 2231, 2230, 2227, 2226, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2229, 2228, 2232, 2233, 2241, 2240, 2242, 2248 एवं 2249

अंश खेसरा संख्याः– 2199, 2201, 2202, 2218, 2251, 2250, 2247, 2244, 2243, 2239 एवं 2234

चौहद्दीः–

उत्तरः– सड़क

दक्षिणः– खेसरा सं0–2216, 2218 एवं 2281

पूरबः– खेसरा सं0–2250, 2251, 2252, 2247, 2244, 2243, 2239, एवं 2234

पश्चिमः– खेसरा सं0–2188, 2194, 2195, 2199, 2201, 2202 एवं 2215

यह अधिसूचना, अधिनियम 1, 1894 की धारा 4 के उपबंधों के अधीन जैसा कि बिहार अधिनियम 11 सन् 1961 द्वारा संशोधित हुआ है उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्शा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सुपौल के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

बिहार सरकार जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सुपौल और उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना से संबंद्ध प्रारम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल, वीरपुर (सुपौल) के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) में यथा उपबंधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

उक्त अधिनियम की धारा 17 (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने निश्चित किया है कि परियोजना की शीध्रता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा (5A) के उपबंध लागू नहीं होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

Sd/-
सरकार के अवर सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

समाहर्त्ता
सुपौल।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

दिनांकः–....................

ज्ञापांकः–....................

प्रतिलिपिः–

- तीन अतिरिक्त प्रतियॉ सीडी के साथ निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना को दो दैनिक समाचार पत्रों– जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाि त संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सुपौल को भेजने हेतु प्रेषित।
- प्रभारी जिला गजट पदाधिकारी, सामान्य शाखा, सुपौल को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशित करने और इसकी पॉच–पॉच प्रतियॉ इस विभाग को एवं जिला भू–अर्जन कार्यालय, सुपौल को यथा शीघ्र भेजने हेतु प्रेषित।
- समाहर्त्ता, सुपौल, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी सुपौल एवं कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल, वीरपुर (सुपौल) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

22/10/13

सरकार के अवर सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।